<Dial 1800 266 6868>
भारतीय डाक
India Post
EU892292705IN INR:69858922729
SP IPCM COUNTER AGRA CANTT <282001>
Counter No:1,21/02/2019,19:57
To:RUBY SINGH,SACHIV BASIC SHI
PIN:211001, Allahabad HO
From:VEENA KUMARI ,JAGDISHPURA
Wt:113gms
Amt:47.20(Cash)Tax:7.20
<Track on www.indiapost.gov.in>

ई-मेल एवं स्पीड पोस्ट द्वारा

सेवा में,
श्रीमती रूबी सिंह जी,
सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद
प्रयागराज।

विषयः— श्री मनिराम सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोण्डा (उ0प्र0) द्वारा भ्रष्टाचार का सहारा लेकर पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाते हुए दोषियों को बचाने एवं मेरे पुत्री के खिलाफ फर्जी केस बनाने के संबन्ध में।

महोदय,

निवेदन करना है कि प्रार्थिनी की अविवाहित पुत्री सुरेखा कुमारी अपने गृह जनपद–आगरा से लगभग 500 किलोमीटर दूरस्थ जनपद गोण्डा के प्राथमिक विद्यालय चिश्तीपुर, ब्लॉक–झंझरी, जिला–गोण्डा में सहायक अध्यापिका के पद पर तैनात है। इस विद्यालय में श्वेता तिवारी नाम की प्रधानाध्यापिका स्वंय घर बैठकर किसी अन्य बाहरी व्यक्ति को अपनी जगह पर विद्यालय में पढ़ाने के लिए भेजती है। जिसका मेरी पुत्री द्वारा विरोध करने पर वह बाहरी व्यक्ति मेरी पुत्री के साथ गाली–गलौज, धक्कामुक्की, अभद्रता, मारपीट एवं अश्लील हरकतें करता है। जिसकी शिकायत मैं और मेरी पुत्री Video साक्ष्य सहित पूर्व में आपको, जिलाधिकारी गोण्डा एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोण्डा सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों से कर चुके हैं। जिनकी छायाप्रति संलग्न हैं।

इस संबन्ध में आज दिनांक 21/02/2019 को दोपहर में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोण्डा अपने आशुलिपिक दिनेश कुमार को साथ लेकर जाँच के नाम पर विद्यालय गये। जहाँ पर इन्होंने मेरी पुत्री पर अनावश्यक दबाव बनाते हुए अहित/स्थानान्तरित करने की धमकी दी। और अपने पद का दुरूपयोग करते हुए विद्यालय के भोले–भाले बच्चों को चॉकलेट आदि का लालच देकर उन्हें सिखाकर यह कहलवाया कि सुरेखा कुमारी अध्यापिका उन्हें मारती पीटती है और बी0एस0ए0 गोण्डा ने इस झूठे वक्तव्य को कहलवाते हुए मोबाइल से वी0डि0यो0 भी रिकॉर्ड करवाई। इसके साथ–साथ बी0एस0ए0 गोण्डा, मेरी पुत्री का भविष्य धूमिल करने के उद्देश्य से श्वेता तिवारी एंव अन्य शिक्षिकाओं से भी मेरी पुत्री के खिलाफ मनगढंत एवं फर्जी कुछ न कुछ लिखवाकर ले गये हैं। जो निश्चित रूप से झूठी, फर्जी, आधारहीन ही होंगी। यहाँ यह तथ्य भी आपके संज्ञान में लाना है कि मेरी पुत्री के अलावा इस विद्यालय में तैनात अन्य शिक्षिकाऐं स्थानीय निवासी हैं जो अपने घर से मात्र 4–5 किलोमीटर की दूरी पर सरकारी नौकरी कर रही हैं। इस कारण इन शिक्षिकाओं के हौसले बुलंद रहते हैं और समय समय पर मेरी पुत्री के मान–सम्मान को ठेस पहुँचा रही हैं।

बी0एस0ए0 द्वारा बाहरी गुंडा तत्व एंव आरोपी शिक्षिकाओं के खिलाफ अभी तक कोई भी कार्यवाही न करना इस बात को स्वतः प्रमाणित करता है कि **बी0एस0ए0 गोण्डा मनिराम सिंह ने नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए इन शिक्षिकाओं एवं बाहरी गुंडा तत्व से भारी–भरकम रकम बतौर रिश्वत ले ली है।** इसलिए इनके द्वारा की जा रही जाँच किसी भी स्थिति में सत्य, निष्पक्ष एवं पारदर्शी कदापि नहीं हो सकती है।

अतः श्रीमान जी से करबद्ध प्रार्थना है कि उक्त के संबन्ध में श्वेता तिवारी (प्र0अध्यापिका) को सेवा से बर्खास्त कराते हुए बाहरी गुंडा तत्व की गिरफ्तारी कराने की कृपा करें। तथा भ्रष्टाचार का सहारा लेकर इनको संरक्षण देने वाले मनिराम सिंह (बी0एस0ए0 गोण्डा) के खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्यवाही करने की कृपा करें तथा मेरी पुत्री को न्याय दिलाने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

दिनांकः–21/02/2019

संलग्नकः–
(1) मा0 मुख्यमंत्री जी को प्रेषित पत्र दिनांक 04/01/19
(2) मा0 मुख्यमंत्री जी को प्रेषित पत्र दिनांक 07/02/19
(3) जिला बेसिक अधिकारी, गोण्डा को प्रेषित पत्र दिनांक 11/02/19
(4) जिलाधिकारी, गोण्डा को प्रेषित पत्र दिनांक 11/02/19
(5) पुलिस अधीक्षक, गोण्डा को प्रेषित पत्र दिनांक 13/02/19
(6) लोक शिकायत संदर्भ संख्या–20018319002097 एवं 20018319002027
(7) आपत्तिजनक 5 फोटोग्राफ

प्रार्थिनी
वीना कुमारी
(वीना कुमारी)
म0नं0 8 शकुन्तला नगर, गढी भदौरिया,
पो0–जगदीशपुरा, आगरा (उ0प्र0)
282002
मो0–9456649192

सेवा में

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी — दिनांक - 11-2-19

गोंडा (उ०प्र०)

विषय :- बाहरी (अनधिकृत) एवं अनजान व्यक्ति द्वारा विद्यालय में घुसकर
प्रार्थिनी को धमकाते हुए गुंडागर्दी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन करना है कि प्रार्थिनी प्राथमिक पाठशाला-चिरतीपुर, विकास खण्ड
झंझरी, जिला-गोंडा (उ०प्र०) में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। इस
विद्यालय की इंचार्ज श्वेता तिवारी के साथ विगत लगभग एक माह से एक
अनजान एवं बाहरी व्यक्ति UP-42/E 4848 नम्बर की कार में बैठकर ~~अक~~
विद्यालय आता है। जो कि शिक्षक न होते हुए भी इस महिला विद्यालय
में बच्चों को पढ़ाता है। चूंकि यह व्यक्ति बाहरी एवं अनधिकृत है तथा
इसका विद्यालय में प्रवेश वर्जित है जिसे देखते हुए इसका मेरे द्वारा
विभाग के एवं बच्चों के हित में विरोध किया जाता है तो यह अपराधिक
प्रवृत्ति का व्यक्ति मुझे धमकाते हुए मारने की धमकी भी लगातार दे
रहा है। इस व्यक्ति ने मुझे बदनाम एवं बेइज्जत करने की नीयत से
मेरे प्रति विद्यालय की दीवार पर चौक से गाली भी लिखी है जिसका
फोटो संलग्न है। यह व्यक्ति मुझसे अश्लील हरकतें भी करता रहता
है।

इस गलत व्यक्ति का विद्यालय में आने का जब मैं विरोध
करती हूँ तो मुझे परेशान कराने के उद्देश्य से शिक्षा मित्र साफिया खातून
एवं फरीन खान (प्रोबेशनल पीरियड में) स०अ० इसका समर्थन करती है
क्यों कि दि० 7-2-19 को उक्त दोनों अध्यापिकाओं ने उस गलत व्यक्ति से
मिलकर विद्यालय में मेरे साथ धक्का मुक्की की, मेरा हाथ मरोड़ दिया
तथा मेरा बैग और मोबाइल झपटकर छीनने की कोशिश की। ABSA
मेरी प्रार्थना पर भी कोई कार्यवाही नहीं की है। मेरे साथ हो रहे अत्याचार पर
मेरी माताजी ने भी दि० 4-1-19 एवं 7-2-19 को अधिकारियों को पत्र लिखे है
जिनकी कॉपी संलग्न है। इसकी शिकायत मैंने 1090 पर भी की है जिसका
पंजीकरण नं० 2019/POL/026262 दि० 9-2-19 है। घटनाओं की वीडियो CD
भी संलग्न है।

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है ~~3~~ कि उक्त व्यक्ति एवं मेरे साथ अभद्रता
करने वाली शिक्षिकाओं के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करने की कृपा करें
तथा मेरी सुरक्षा भी कराने की कृपा करें।

प्रार्थिनी

Surekha Kumari

(सुरेखा कुमारी)

स०अ०

प्रा०पाठशाला - चिरतीपुर

ब्लाक-झंझरी (गोंडा)

संलग्न :- वीडियो CD व दो पत्र।

[signature] 11.2.19

(नन्द कुमार मौर्य)

सेवा में

जिलाधिकारी महोदय
गोंडा (उ०प्र०)

दिनांक - 11-2-19

विषय — बाहरी (अनाधिकृत) एवं अनजान व्यक्ति द्वारा विद्यालय में घुसकर प्रार्थिनी को धमकाते हुये गुंडागर्दी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन करना है कि प्रार्थिनी प्राथमिक पाठशाला-चिश्तीपुर, विकास खण्ड झंझरी, जिला-गोंडा (उ०प्र०) में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। इस विद्यालय की इंचार्ज श्वेता तिवारी के साथ विगत लगभग एक माह से एक अनजान एवं बाहरी व्यक्ति UP-42/E 4848 नम्बर की कार में बैठकर विद्यालय आता है। जो कि शिक्षक न होते हुए भी इस महिला विद्यालय में बच्चों को पढ़ाता है। चूंकि यह व्यक्ति बाहरी एवं अनधिकृत है तथा इसका विद्यालय में प्रवेश वर्जित है जिसे देखते हुए इसका मेरे द्वारा विभाग के एवं बच्चों के हित में विरोध किया जाता है तो यह अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति मुझे धमकाते हुये मारने की धमकी भी लगातार दे रहा है। इस व्यक्ति ने मुझे बदनाम एवं बेइज्जत करने की नीयत से मेरे प्रति विद्यालय की दीवार पर चौक से गाली भी लिखी है जिसका फोटो संलग्न है। यह व्यक्ति मुझसे अश्लील हरकतें भी करता रहता है। इस गलत व्यक्ति को विद्यालय में आने का जब मैं विरोध करती हूँ तो मुझे परेशान कराने के उद्देश्य से शिक्षा मित्र सरिता खातून एवं फरीन खान (पोलीमलिन चरिपुर में) स०अ० इसका समर्थन करती हैं क्यों कि दि० 5-2-19 को उक्त दोनों अध्यापिकाओं ने उस गलत व्यक्ति से मिलकर विद्यालय में मेरे साथ धक्का मुक्की की, मेरा हाथ मरोड़ दिया तथा मेरा बैग और मोबाइल झपटकर छीनने की कोशिश की। ABSA ने मेरी प्रार्थना पर भी कोई कार्यवाही नहीं की है। मेरे साथ हो रहे अत्याचार पर मेरी माताजी ने भी दि० 4-1-19 एवं 7-2-19 को अधिकारियों को पत्र लिखे हैं जिनकी कॉपी संलग्न है। इसकी शिकायत मैंने 1090 पर भी की है जिसका पंजीकरण नं० 2019/POL/026262 दि० 9-2-19 है। घटनाओं की वीडियो CD भी संलग्न है।

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि उक्त व्यक्ति एवं मेरे साथ अभद्रता करने वाली शिक्षिकाओं के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करने की कृपा करें तथा मेरी सुरक्षा भी करने की कृपा करें।

प्रार्थिनी
(हस्ताक्षर)
(सुरेखा कुमारी)
स०अ०
प्रा०पाठशाला - चिश्तीपुर
ब्लाक- झंझरी (गोंडा)

संलग्न :- वीडियो CD व दो पत्र।

मो० नं० - 9456649192

जनता दर्शन
दिनांक.........

BSA
कृपया जाँच कर कार्यवाही करें
(हस्ताक्षर)
11-2-19
जिलाधिकारी

शिक्षकों के लिए फर्नीचर
बच्चों के लिए फर्नीचर
रैम्प की उपलब्धता
02 छात्र नामांकन
08 रसोइयों की सं

OSHIN
LXi
UP 42 / E / 4848

सुरक्षित स्थान

[illegible]